

FORM NO.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपमण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)
 गोवर्धनसिंह बनाम प्रताप कंवर
 किरान मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट नम्बर 109/25

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
21.3-25	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 सलैरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>गोवर्धन सिंह</u></p> <p>पिता श्री <u>अंवरसिंह शम्भूत</u></p> <p>निवासी- <u>धूरप्रपोल (वस्ती)</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ में ग्राम <u>धूरप्रपोल</u> <u>(प.ड. सेमलपुर) (वस्ती)</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर.....</p> <p><u>खाल स. 489 व 499 में वर्गिन आराजी</u></p> <p>कुल कीता <u>4+12 = 16</u> कुल रकबा <u>2.82</u> है० की पत्थरगडी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी के आराजी के दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की आराजी <u>धूरप्रपोल (सेमलपुर) (वस्ती)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>खाल स. 489 व 499 में वर्गिन आराजी</u></p> <p>कुल कीता <u>16</u> रकबा <u>2.82</u> है० की बिना किसी कब्जे में दखलनाही किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगडी करमे के आदेश दिये जाते है। पत्थरगडी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>2000</u> रुपये अक्षरे <u>दो हजार रुपये</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्त पर पेश हो।</p> <p>(बीनू देवल) सहायक कलेक्टर एवं उपमण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>